

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 938]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2001/पौष 6, 1923

No. 938]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2001/PAUSA 6, 1923

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1265(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का०आ० 480(अ), तारीख 30 मई, 1998 के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के उन सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 7 जुलाई, 1998 को निवृत्त हो गए थे, स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित हुए थे ;

और, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री शिबू सोरेन का नाम अधिसूचना सं० का०आ० 575(अ), तारीख 8 जुलाई, 1998 द्वारा अधिसूचित किया गया था ;

और, भारत के उच्चतम न्यायालय ने, वर्ष 2000 की सिविल अपील सं० 3538 (शिबू सोरेन बनाम दयानंद सहाय और अन्य) में, जिसका विनिश्चय 19 जुलाई, 2001 को किया था, शिबू सोरेन के निर्वाचन को अपास्त कर दिया है और श्री दयानंद सहाय का राज्य सभा में सम्यक्तः निर्वाचित होना अभिनिर्धारित किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 71 के अनुसरण में, भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 575(अ) तारीख 8 जुलाई,

1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना सं०का०आ० 575(अ) तारीख 8 जुलाई, 1998 में “बिहार” शीर्षक के अधीन क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5. श्री दयानंद सहाय”।

[फा. सं. एच.-11024(4)/2001-वि.-2]

एन. एल. मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2001

S.O. 1265(E).—Whereas elections were held in pursuance of notification number S.O. 480(E), dated the 30th May, 1998 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for the purpose of filling the seats of members of the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar, who retired on 7th July, 1998, on the expiration of their term of office;

And whereas, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of Shri Shibu Soren elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar was notified vide notification number S.O. 575(E), dated the 8th July, 1998;

And whereas, the Supreme Court of India, in Civil Appeal No.3538 of 2000 (Shibu Soren Vs. Dayanand Sahay and Others) decided on July 19, 2001, has set aside the election of Shri Shibu Soren and held Shri Dayanand Sahay to be duly elected to Rajya Sabha;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) number S.O.575(E), dated the 8th July, 1998, namely:—

In the said notification number S.O.575(E), dated the 8th July, 1998, under the heading “BIHAR” for S.No.5 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:—

“5. Shri Dayanand Sahay”.

[F. No. H-11024(4)/2001-Leg.-II]

N. L. MEENA, Jt. Secy. and Legislative Counsel